भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5012

सोमवार, 23 मार्च, 2026/ 02 चैत्र, 1948 (शक)

मुंबई में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों का कल्याण

†5012. श्री संजय दिना पाटीलः

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक आय की अस्थिरता, प्रति-कार्य कम होता भुगतान, लंबे कार्य घंटे तथा बढ़ती परिचालन लागत जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी तनाव बढ़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने मुंबई में उक्त श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों के अभाव अथवा उनकी पर्याप्तता के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुंबई में उक्त श्रमिकों को प्रभावित करने वाले अपारदर्शी एल्गोरिदिमक प्रबंधन, मनमाने आईडी निष्क्रियकरण तथा कमजोर शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित शिकायतों की जाँच की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास मुंबई में गिग कार्यवल के बीच कार्य-संबंधी दुर्घटनाओं, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों तथा ऋणग्रस्तता से संबंधित कोई आँकड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुंबई में उक्त श्रमिकों के लिए उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, एल्गोरिदिमक पारदर्शिता तथा विधिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित समयबद्ध उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा तथा उनसे संबंधित प्रावधान पहली बार 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है।

यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है। यह संहिता, इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण हेतु एक 'सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना का प्रावधान करती है। साथ ही, इसमें गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के उद्देश्य से एक 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' के गठन का भी प्रावधान है।

इस संहिता में समुचित सरकार द्वारा असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए टोल-फ्री कॉल सेंटर, हेल्पलाइन या सुविधा केंद्र स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु दिनांक 26.08.2021 को 'ई-श्रम' पोर्टल का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक 'यूनिवर्सल अकाउंट नंबर' (यूएएन) प्रदान कर पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'ई-श्रम - वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' भी शुरू किया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। इसकी परिकल्पना इसलिए की गई है ताकि ई-श्रम पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म कामगारों सहित अन्य असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सकें और अब तक प्राप्त लाभों का विवरण देख सकें।

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अधिकतम करने के उद्देश्य से, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से अप्रैल, मई और अगस्त-सितंबर, 2025 के दौरान तीन राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान चलाए गए। दिनांक 17.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर 8.86 लाख से अधिक प्लेटफॉर्म कामगार पंजीकृत हैं।

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के सामाजिक सुरक्षा ढांचे के संबंध में एग्रीगेटर्स, नॉलेज पार्टनर्स, प्लेटफॉर्म कामगार यूनियनों/संघों और राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया गया है।
